सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 426 राँची, रविवार, 11 वैशाख, 1938 (श०)

1 मई, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 अप्रैल, 2016

1. आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-432/स्था0, दिनांक-15 अक्टूबर, 2007 एवं पत्रांक-382, दिनांक 08 मई, 2015
2. उपायुक्त, गढ़वा का पत्रांक-42/स्था0, दिनांक-28 जनवरी, 2009
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का विभाग अधिसूचना सं0-7257, दि0 18 जून, 2014

संख्या-5/आरोप-1-72/2015 का०- 3189 --श्री फिलबियूस बारला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिलाहजारीबाग) के भूमि सुधार उप समहर्त्ता, नगर ऊँटारी, गढ़वा के पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोप आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-432/स्था०, दिनांक-15 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गयेः-

आरोप सं०-1. श्री फिलबियूस बारला, भूमि सुधार उप समहर्त्ता, नगर ऊँटारी, गढ़वा द्वारा दिनांक-03 मई, 2007 से दिनांक- 04 मई, 2007 तक आकस्मिक अवकाश के लिए एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक- 30 अप्रैल, 2007 को भेजकर बगैर अवकाश स्वीकृत कराए स्वेच्छा से मुख्यालय छोड़ दिये, जो नियमविरुद्ध है, तब से श्री बारला स्वयं की चिकित्सा कराने के बहाने अब तक (30 जुलाई, 2007) तक के लिए अवकाश की अवधि विस्तार हेतु फैक्स से आवेदन भेजते रहे हैं। दिनांक-14से 16 मई, 2007 तक की अवकाश बढ़ाए जाने के संबंधी फैक्स से भेजे गये आवेदन-पत्र,दिनांक-14 मई, 2007 के साथ राघव शरण गैर सरकारी चिकित्सक, बरियातू रोड, राँची द्वारा प्रदत्त चिकित्सा के निमित्त एडवाईस दिनांक 08 मई, 2007 की छायाप्रति दी गयी, जो नियमविरुद्ध है।

आरोप सं०-2. दिनांक-30 अप्रैल, 2007 से दिनांक 30 जुलाई, 2007 तक लम्बी अवधि के लिए अवकाश हेतु नियमानुसार राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में विहित प्रपत्र में आवेदन देने का प्रावधान बिहार सेवा संहिता नियमावली में निरूपित है, जिसकी श्री बारला द्वारा अनदेखी की गयी है। लम्बी अवधि के अवकाश उपभोग करने हेतु श्री बारला को अपने आवेदन में पत्राचार का पता एवं दूरभाष संख्या/मोबाईल नंबर आदि का उल्लेख करना चाहिए था। इसका भी अनुपालन श्री बारला द्वारा नहीं किया गया।

आरोप सं०-3. श्री बारला के अनधिकृत रूप से लंबी अवधि से कार्य से अनुपस्थिति रहने के फलस्वरूप राजस्व मामलों के निष्पादन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो लोकहित में उचित नहीं है।

उक्त आरोपों पर श्री बारला के पत्रांक-09/रा०, दिनांक- 23 जून, 2008 द्वारा समेकित रूप से समर्पित स्पष्टीकरण का सार निम्नवत् है:-

श्री बारला का स्पष्टीकरण- अस्वस्थ्य रहते हुए भी मैंने नगर ऊँटारी में भूमि सुधार उप समहर्त्ता का प्रभार प्राप्त किया। मेरी चिकित्सा डॉ राघव शरण से चल रही थी। मार्च 2007 में तबीयत खराब होने पर साधना पैथोलोजी सेन्टर में जाँच कराया गया। दिनांक 21मार्च, 2007 को डॉ सचिदानन्द वर्मा से जाँच कराया गया। इसी बीच पलामू संसदीय उप चुनाव में मेरी प्रतिनियुक्ति वाहन कोषांग में हो गयी, परन्तु बीमारी हो जाने के कारण अपेक्षित कार्य नहीं कर पाया। मेरी अस्वस्थता की पूरी जानकारी उपायुक्त महोदय को वाहन कोषांग प्रभारी श्री कपिलदेव तिवारी के द्वारा दी गयी। मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर मैं दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को अवकाश लेने उपायुक्त कार्यालय में गया। उपायुक्त महोदय ने मुझे कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, नगर ऊँटारी अभी अवकाश पर है तथा दिनांक- 30 अप्रैल, 2007 तक वापस मुख्यालय आ जाऐंगें। अनु0 पदा0 के वापस आ जाने पर आप अवकाश में चले जाइयेगा। उपायुक्त महोदय के आश्वासन पर मैं दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को

अवकाश आवेदन प्राप्त कराकर अवकाश में गया। दिनांक- 24 अप्रैल, 2007 को मेरे द्वारा की गयी कार्यलय की निरीक्षण टिप्पणी उन्हें उपलब्ध कराया गया। इस बीच मैं पीलिया तथा अन्य बीमारी से ग्रस्त हो गया। मेरी गंभीर स्थिति के कारण मुझे श्री मनोहर मरांडी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा श्री परमेश्वर भगत, अवर सचिव, गृह विभाग द्वारा डॉ०पी०एन० सिंह के पास ले जाया गया, जिनके द्वारा स्वास्थ्य जाँचोरांत अविलंब ओपोलो अस्पताल, ओरमाँझी में दाखिल किया गया। अभी मैं चिकित्सारत हूँ तथा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-56(2) के तहत् अभ्यावेदन करने पर राज्स्व विभाग द्वारा मुझे चाईबासा में पदस्थापित किया गया ।

उपायुक्त गढवा के पत्रांक-42/स्था०, दिनांक-28 जनवरी, 2009 द्वारा श्री बारला के स्पष्टीकरण पर निम्नवत् मंतव्य दिया गया है-

उपायुक्त गढ़वा का मंतव्य- श्री बारला द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सेवा संहिता के नियम-60, 150, 221(ख)(आ) एवं परिशिष्ट-9 की कंडिका-8 को दृष्टिगत रखते हुए बिल्कुल आरोप से भिन्न एवं असंतोष जनक है। उनके द्वारा आरोप को स्वीकार नहीं करते हुए उल्टे प्रशासन को ही जिम्मेवार ठहाराया गया है। ऐसी स्पष्टीकरण संबंधी श्री बारला से कारण पृच्छा के लिए विभाग को लिखा जा सकता है ।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-382, दिनांक 08 मई, 2015 द्वारा श्री बारला के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य पर आरोपवार दिया गया मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का मंतव्य- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं० 7257, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा श्री बारला को दिनांक 05 मई, 2007 से 02 जनवरी, 2008 तथा दिनांक 29 जून, 2008 से 01 जुलाई, 2008 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृत प्रदान की गयी । श्री बारला के विरुद्ध दिनांक 03 मई, 2007 से दिनांक 04 मई, 2007 तक आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपायुक्त, गढ़वा के मौखिक आदेश आश्वासन पर ही तथा अनकी जानकारी में ही श्री बारला द्वारा अवकाश के लिए प्रस्थान किया गया । इसकी पुष्टि आवेदन-पत्र पर तत्कालीन उपायुक्त, गढ़वा द्वारा दिनांक-30 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किये जाने से होती है। यदि श्री बारला बगैर अनुमति के अथवा बिना जानकारी के मुख्यालय से अवकाश के लिए प्रस्थान करते तो उपायुक्त, गढवा द्वारा आवेदन पत्र पर विशेष टिप्पणी/आदेश अवश्य अंकित किया जाता । साथ ही विभागीय अधिसूचना सं०-7257, दिनांक 08 जून, 2014 के आलोक में उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप मात्र दो दिन दिनांक-03 मई, 2007 एवं 04 मई, 2007 का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मामले में श्री बारला द्वारा अपनी चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्रों एवं अवकाश विस्तार के आवेदनों के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त गढ़वा द्वारा लगाये गये आरोप

निराधार एवं अप्रासंगिक प्रतीत होते है। बारला द्वारा अपनी चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्रों एवं अवकाश विस्तार के आवेदनों के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त, गढ़वा द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं अप्रासंगिक प्रतीत होते है ।

आरोप सं०-2 पर आयुक्त, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर का मंतव्य- श्री बारला के विरुद्ध अवकाश हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन न देने, पत्राचार का पता एवं संपर्क न० का उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-7257, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा श्री बारला को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी चुकी है। अतः इस कंडिका में लगाये गये आरोप अप्रसांगिक है ।

आरोप सं०-3 पर आयुक्त, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर का मंतव्य- श्री बारला पर स्वेच्छापूर्वक/अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति का जो आरोप है, के संबंध में आरोप सं०-1 की कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। श्री बारला अपनी बीमारी के कारण आवेदन पत्र देकर एवं तत्कालीन उपायुक्त, गढ़वा से मौखिक वार्ता कर अवकाश पर गये है न कि स्वेच्छापूर्वक/अनधिकृत रूप से ।

अतएव उपलब्ध कराये गयो कागजातों में वर्णित परिस्थितियों एवं कारणों से श्री बारला के विरुद्ध लगाय गए आरोप निराधार एवं अप्रासंगिक प्रतीत होते है ।

श्री बारला क विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गढ़वा एवं आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०-7257, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा श्री बारला को दिनांक 05 मई, 2007 से 02 जनवरी, 2008 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे इनका अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि माना जा रहा था। अतः आयुक्त पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के मंतव्य से सहमत होते हुए विषयगत मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 426—50 ।